अतिमहत्वपूर्ण / तत्काल /
विशेष प्राथमिकता

कार्यालय जिलाधिकारी प्रतापगढ़।

पत्रांक : 1123 / शिविर–2015 दिनांक : अप्रैल 29, 2015

विषय :– ग्राम सभा / सार्वजनिक भूमि से अवैध अतिक्रमण / अनाधिकृत कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में।

समस्त
उपजिलाधिकारी / तहसीलदार,
जनपद–प्रतापगढ़।

कृपया उपर्युक्त विषयक मेरे पत्र संख्या : 1437 / शिविर–2014 दिनांक : 27 सितम्बर 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पत्र में अंकित प्रारूप पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने व प्रत्येक तालाब(सी0एच0–45 के अनुसार) की फोटोग्राफी कराकर निर्धारित प्रारूप पर राजस्व ग्रामवार एलबम उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें तथा संलग्न शासनादेश संख्या : 300 / एक–2–2015 -- रा–2 राजस्व अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक : 28 अप्रैल 2015 का अवलोकन करें। उक्त अभियान के सफल संचालन के लिये निम्न कार्ययोजना बनायी जाती है।

1. अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी शजरों की स्वच्छ फोटो स्टेट कापी करायी जाय, जिसमें धारा 132 की की भूमि लाल रंग से तथा श्रेंणी–5 की भूमि हरे रंग तथा श्रेंणी–6 की भूमि पीले रंग से रंग कर चिन्हित कर दर्शाया जाय।
2. दिनांक : 01 मई से 05 मई 2015 तक सभी तहसीलदार स्वयं अथवा नायब तहसीलदार के माध्यम से तहसील के समस्त शजरों की फोटोस्टेट करायेंगे।
3. दिनांक : 06 व 07 मई 2015 को लेखपालों को तहसील में उपस्थित कराकर शजरों को रंग कर चिन्हित किया जायेगा।
4. दिनांक : 08 से 10 मई 2015 तक लेखपालों के माध्यम से गॉव सभा की भूमियों का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा।
5. दिनांक : 11 मई 2015 से प्रतिदिन लेखपाल / राजस्व निरीक्षक / नायब तहसीदलार / तहसीलदार / उप जिलाधिकारी द्वारा पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटवाया जायेगा।

प्रत्येक लेखपाल प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट तहसीलदार / उपजिलाधिकारी के माध्यम से निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करेगा।

दिनांक	ग्राम का नाम	चिन्हित गाटा संख्या जिसमें अनाधिकृत कब्जा / अतिक्रमण हटाया गया।	हटाये गये अतिक्रमण का स्वरूप	ग्राम के 04 व्यक्तियों के हस्ताक्षर तथा उनके मोबाईल नं0 जिनके समक्ष अनाधिकृत कब्जा / अतिक्रमण हटाया गया।
1	2	3	4	5

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि रंगे गये शजरों की एक प्रति दिनांक : 10 मई 2015 तक प्रत्येक दशा में भूलेख कार्यालय को उपलब्ध करायें तथा हटाये गये अतिक्रमण / अनाधिकृत कब्जों के सम्बन्ध में उपरोक्त निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रतिदिन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि निरीक्षण के दौरान अवैध कब्जा अतिक्रमण पुनः पाया जाता है तो सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार उत्तरदायी होंगे। तथा उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक : यथोक्त।

(अमृत त्रिपाठी)
जिलाधिकारी
प्रतापगढ़।

.....2

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।
प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग–2, लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद को सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य विकास अधिकारी प्रतापगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ कि सभी थानाध्यक्षों को अतिक्रमण हटाने हेतु पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने हेतु समुचित निर्देश जारी करें।
6. अपर जिलाधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी प्रतापगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त क्षेत्राधिकारी, जनपद प्रतापगढ़ को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि अवैध अतिक्रमण/अवैध कब्जा हटवाये जाने में राजस्व विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

जिलाधिकारी
प्रतापगढ़।

कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।

संख्याः 1437/शिविर–2014 दिनांकः 27 सितम्बर, 2014

आदेश

मा0 विभिन्न न्यायालय एवं शासन द्वारा समय–समय पर तालाबों की भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटवाने हेतु निर्देश दिये जाते रहे हैं, किन्तु तत्संबंधी जिम्मेवार अधिकारियों के उदासीन एवं शिथिलता रवैये के कारण तालाबों की भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाया नहीं जा सका हैं, जिस कारण तालाबों का अस्तित्व खतरे में है। अतः मा0 विभिन्न न्यायालयों एवं शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में यह निर्दशित करना है कि इस विषयक एक अभियान चलाकर तालाबों की भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटवा दिया जायें।

उक्त विषयक ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक भी मा0 विभिन्न न्यायालयों एवं शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा अवैध अतिक्रमण विषयक कार्यवाही को पूर्ण गम्भीरता से नही लिया जा रहा है। अतः सम्बन्धितों को निर्देशित किया जाता हैं कि उक्त के क्रम में समस्त कार्यवाही पूर्ण कर तथा प्रत्येक सप्ताह शनिवार सांयकाल बैठक मे साप्ताहिक रूप से प्रत्येक राजस्व ग्रामवार तथा निम्न निर्धारित बिन्दुओं पर मय फोटोग्राफ सहित सूचना उपलब्ध कराये जिस स्तर पर भी विचलन संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्व मा0 उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अवमानना की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी तथा निलम्बन की संस्तुति की जायेगी। अतः मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 6472(एम0/बी0)/2012 ओम प्रकाश वर्मा व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा शासन की मंशा के अनुरूप निम्न प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित है–

1. सभी उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार संयुक्त रूप से निम्न प्रारूप पर प्रत्येक राजस्व ग्राम का प्रमाण पत्र देंगे।

प्रमाण-- पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि निम्न तालिका में वर्णित सूचना के आधार पर तथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.08.2012 तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा हिन्छलाल बनाम कमला देवी एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 47176/2009 दीनानाथ बनाम मुरली में पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा हिन्छलाल बनाम कमला देवी में पारित निर्णय के पश्चात् किसी भी तालाब/पोखरों पर अवैध अतिक्रमण नही है तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 47176/2009 दीनानाथ बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.09.2009 के बाद किसी भी ग्राम सभा की भूमि तथा तालाब/पोखर/ कब्रिस्तान/चारागाह आदि पर अवैध कब्जा नही हैं। यदि उक्त भूमियों पर अवैध कब्जा संबंधी कोई तथ्य संज्ञान में आता है तो उसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊगा।

राजस्व ग्राम का नाम	सी0एच0–45 के अनुसार कुल तालाबों की संख्या	प्रत्येक तालाब की गाटा संख्या	तलाब पर अतिक्रमण की प्रकृति का विवरण	अभ्युक्ति

2. उप जिलाधिकारी प्रत्येक तालाब (सी0एच0–45 के अनुसार) फोटोग्राफी कराकर राजस्व ग्रामवार एलबम बनवायेंगे तथा उसका एक कॉपी अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/सहायक भूलेखाधिकारी सुरक्षित रखेंगे।

एलबम निर्धारित प्रारूप पर बनायें।

प्रथम पृष्ठः– राजस्व ग्राम का नाम तथा कुल तालाबों की संख्या एवं गाटे का विवरण निम्नानुसार–

क0सं0	गाटा संख्या	नम्बरिंग
1.		
2.		
3.		

द्वितीय पृष्ठ– कमांक 01 के तालाब का फोटोग्राफ।

3. प्रत्येक तालाब पर पत्थर का बोर्ड लगाकर उस पर प्रदर्शित करें कि यह सरकारी तालाब है, अतिक्रमण के विरूद्व कार्यवाही होगी।

4. समस्त उप जिलाधिकारी प्रत्येक शनिवार को उक्त के विषयक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि जितने लेखपाल उनके पास हैं उतने ही राजस्व ग्राम की सूचना प्रत्येक सप्ताह प्रस्तुत की जाए।

अतः उपुर्यक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसमें किसी स्तर पर किसी भी प्रकार की उदासीनता, शिथिलता एवं अनवधानता न होने पाये। अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए कठोर कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(अमृत त्रिपाठी)
जिलाधिकारी
प्रतापगढ़।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को इस आशय से कि सार्वजनिक सम्पत्तियों/तालाबों पर से अतिक्रमण हटवाने हेतु आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध करायें।
2. मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अतिक्रमण मुक्त तालाब की मनरेगा से खुदाई कराना सुनिश्चित करायें।
3. अपर जिलाधिकारी(वि/रा), प्रतापगढ़ को इस निर्देश के साथ कि एलबम संकलित कर प्रत्येक सप्ताह बैठक करायें और इसकी सघन समीक्षा करें।
4. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार, प्रतापगढ़ को उपरोक्तानुसार कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
5. अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/जलनिगम/विद्युत/पी0एम0जी0 एस0वाई0/ सिंचाई व नलकूप आदि जनपद प्रतापगढ़।
6. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/समस्त नगर पंचायत,प्रतापगढ़।
7. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, प्रतापगढ़।
8. सहायक भूलेख अधिकारी,प्रतापगढ़।
9. जिला सूचना अधिकारी,प्रतापगढ़।

जिलाधिकारी
प्रतापगढ़।